न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएम्एस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
59 / 2022	2022 / 116	20.05.2022	28.07.2022

उनवान प्रकरण

1. कमला सोनी पत्नि केदारनाथ सोनी आयु 73 वर्ष जाति सुनार निवासी ग्राम अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—वादिया

बनाम्

1. गुल्लाराम पुत्र नानगा उर्फ नानछा आयु 50 वर्ष
2. जयपाल पुत्र नानगा उर्फ नानछा आयु 45 वर्ष
3. मदन पुत्र नानगा उर्फ नानछा आयु 42 वर्ष

   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम मण्डुस्या तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

4. पटवारी, पटवार हल्का हथोरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. उप तहसीलदार अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
6. उपपंजीयक अजीतगढ
7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.30 11:15:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

Rathore 28/07/22

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थितः—

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 वादीया अभिभाषक।
श्री निखिल कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से ।

वादपत्र बाबत उद्घोषणा, तकाज्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादिया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.57 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। जिसके हिस्सा 55/144 भाग पर वादिया काबिज काश्त चली आ रही है। जिसकी खातेदारी सर्वथा गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकोर्ड चली आ रही है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1096 रकबा 1.10 हैक्टर अवस्थित तन ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्का हथोरा तहासील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 है। जिसके हिस्सा 1/4 भाग पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसकी खतेदारी वादिया के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजीयात उक्तानुसार ही साबिक खातेदारान के एक दुसरे के नाम चली आ रही थी। जब वादिया ने उक्त भूमि को साबिक खातेदारान से क्रय किया तो वादिया के नाम खातेदारी तो खसरा नम्बर 1096 की दर्ज हो गई परन्तु मौके पर कब्जा भूमि खसरा नम्बर 1082 में अजीतगढ–मण्डुस्या सड़क मार्ग के सहारे–सहारे प्राप्त किया। वादिया की कब्जे काश्त की भूमि को संलग्न नजरी नक्शे लाल स्याही व ए,बी,सी,डी, बिन्दुओ से दर्शित किया गया है। वादिया ने मौके पर उक्त भूमि पर पुख्ता चारदिवारी बनाकर कमरे आदि का निर्माण भी किया है तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने भी साबिक खातेदार से भूमि क्रय की तो खातेदारी तो खसरा नम्बर 1082 में दर्ज हो गई परन्तु कब्जा भूमि खसरा नम्बर 1096 में प्राप्त किया तथा उसी अनुसार उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अपने–अपने हिस्से में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.30 11:15:27 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

आई भूमि पर मकानात आदि बनाकर काबिज काश्त चले आ रहे है। साबिक खातेदारान के समय ही राजस्व कर्मचारियों की गफलत व लापरवाही के चलते उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड उक्तानुसार गलत दर्ज होकर एक दुसरे खातेदारान के नाम दर्ज हो गया तथा राजस्व रिकोर्ड की सही जानकारी नही होने के कारण उक्त भूमि की खातेदारी एक दुसरे के नाम दर्ज चलती रही। अर्सा करीब 6 माह पूर्व वादिया ने अपने हक हिस्से की भूमि में बने मकानों का पट्टा जारी करवाने के लिए पटवारी हल्का से रिपोर्ट करवाने के लिए मौका स्थिति दिखाई तब वादिया को पता चला कि जिस भूमि पर वादिया काबिज काश्त चली आ रही है। वह प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा जिस प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 काबिज काश्त चले आ रहे है। वह भूमि वादिया की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इस बाबत वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से संपर्क किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने उक्त भूमि का कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद जब भी वादिया ने उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 तो कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 समयाभाव बताकर टालमटोल करते रहे। अर्सा करीब 7 दिन पूर्व वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने के लिए वापस कहा तो उन्होने राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने से मना कर दिया। इस प्रकार वादिया उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.57 है0 के हिस्सा 55/114 भाग की काबिज खातेदार काश्तकार उदघोषित करवाने की विधिक अधिकारी है तथा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.57 है के हिस्सा 55/114 भाग का वादिया को काबिज खातेदार उदघोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई तथा वादिया भूमि खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.57 है0 के हिस्सा 55/114 भूमि पर अजीतगढ मण्डुस्या सड़क मार्ग के सहारे–सहारे काबिज काश्त चली आ रही है। इस प्रकार उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड में शामलाती चली आ रही है, परन्तु मौके [illegible] हुई है। इसलिए वादिया उक्त वादग्रस्त भूमि का तकास्मा कर[illegible] अधिकार की भूमि की अलग से खातेदारी दर्ज करवाकर राज[illegible] अलग से अपनी खातेदारी दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी है तथा उक्त भूमि [illegible] उक्तानुसार तकास्मा किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.30 11:15:27 IST
Reason: SelfAttested

20/07/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

न्यायहित में आवश्यक है। अर्सा करीब 6 माह पुर्व वादिया ने अपने हक हिस्से की भूमि में बने मकानों का पट्टा जारी करवाने के लिए पटवारी हल्का से रिपोर्ट करवाने के लिए मौका स्थिति दिखाई तब वादिया को पता चला कि जिस भूमि पर वादिया काबिज काश्त चली आ रही है, वह प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 काबिज काश्त चले आ रहे है। वह भूमि वादिया की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इस बाबत वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से संपर्क किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने उक्त भूमि का कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने का आश्वासन दिया। इसके बाद जब भी वादिया ने उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 समयाभाव बताकर टालमटोल करते रहे। अर्सा करीब 7 दिन पूर्व वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को उक्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड दुर्रस्त करवाने के लिए वापस कहा तो उन्होने राजस्व रिकोर्ड दुरस्त करवाने से मना कर दिया तथा वादिया के कब्जा काश्त व उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने पर आमादा हो गये तथा नुमाईशी खातेदारी की आड में उक्त भूमि को अंतरित करने पर आमादा हो गयें। इसलिए उक्त भूमि का वादिया को उक्तानुसार काबिज खातेदार उदघोषित किया जाकर प्रतिवादीगण के उक्त बैजा एंव अवैध कृत्य के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध किया जाना अति आवश्यक है। अर्सा करीब 7 दिन पूर्व वादिया द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी दुरस्त करवाने व तकास्मा करवाने व तकास्मा करवाने बाबत कहने पर उनके द्वारा राजस्व रिकोर्ड दुरस्त व तकास्मा दुरस्त करवाने से मना कर दिया तथा वादिया के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने पर आमादा होने व नुमाईशी खातेदारी की आड़ में उक्त भूमि को अंतरित करने पर आमादा हाने पर वादकरण उत्पन्न होकर वादपत्र न्यायालय में पेश करना लाजिम हुआ। इसलिए दावा पेश कर बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादिया के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब ... प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.30 11:15:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

7 की सम्मन तामील साधारण तरीके से असालतन होकर आई है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री निखिल कुमार शर्मा एड0 ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। प्रकरण में साक्ष्य वादिया में वादिया कमला सोनी व साक्ष्य गवाह में विजयपाल सिंह पुत्र शिशपाल सिंह के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 6 के विरूद्ध दावा नहीं चलाकर उनके खिलाफ दावा विड्रा किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के विरूद्ध दावा विड्रा किया जाता है। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश हो जाने से वकील वादीया ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादीया अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीया अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, इकबालिया जवाब दावा, साक्ष्य वादी में वादिया व गवाह द्वारा पेश शपथ पत्रों, व दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी वादिया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है तथा उक्त दोनों ही खातेदारान् का एक दूसरे की भूमि पर कब्जा काश्त होना अर्थात् जिस भूमि पर वादिया काबिज काश्त चली आ रही है, वह प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है तथा जिस भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज काश्त चले आ रहे है। वह भूमि वादिया की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही होना प्रकट होता है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के समर्थन में प्रतिवादीगण संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.30 11:15:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

28/07/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

लगायत 3 ने इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादिया के वादपत्र को स्वीकार किया है एंव वादपत्र में अंकित कथनों की ताईद साक्ष्य वादी में वादिया व गवाह विजयपाल सिंह पुत्र शिशपाल सिंह द्वारा पेश लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी होती है। प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के पक्ष में पेश किये गये इकबालिया जवाब दावा के आधार पर वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत उद्घोषणा, तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादिया का वाद बाबत् उद्घोषणा, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.57 हैक्टर के हिस्सा 55/114 भाग का वादिया को काबिज खातेदार घोषित किया जाता है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड के हिस्सा 55/114 भाग से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1096 रकबा 1.10 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर के हिस्सा 1/4 भाग से वादिया का नाम हजफ किया जाता है तथा वादिया के स्थान पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.57 हैक्टर तन् ग्राम मण्डूस्या पटवार हल्का हथौरा तहसील श्रीमाधोपुर के वादिया के कब्जे काश्त की भूमि हिस्सा 55/114 का वादिया एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य तकास्मा किया जाकर संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित ए, बी, सी, डी बिन्दुओं से दर्शित भूमि का वादिया को अलग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.30 11:15:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

30/08/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार वादिया व प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 3 के खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शे में अलग से नम्बर डालकर अलग से लगान कायम किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

28/07/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/07/22

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.08.30 11:15:27 IST
Reason: SelfAttested